भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1211
सोमवार, 21 सितम्बर, 2020/30 भाद्रपद, 1942 (शक)

कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान कामगारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना

1211 श्री कनकमेदला रवींद्र कुमार:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण बेरोजगार हुए कामगारों को राहत प्रदान करने के लिए कदम उठाए हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
(ग) कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान कामगारों और उनके परिवारों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता तथा चिकित्सीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क से ग): कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी और फिर लगने वाले लॉकडाउन ने भारत सहित विश्व भर की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया है। कोविड-19 के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में प्रवासी कामगार अपने मूल निवास स्थानों पर वापस जा रहे हैं। भारत सरकार ने 20 लाख करोड़ रु. के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है जो अन्य बातों के साथ-साथ देश में रोजगार अवसरों के सृजन को सुगम बनाता है। आत्मनिर्भर भारत युवाओं हेतु रोजगार सृजित करने के लिए अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, व्यवस्था, व्यवस्थापूर्ण जनसांख्यिकीय एवं मांग पर आधारित है।

प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत, भारत सरकार कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के तहत नियोक्ताओं के 12% हिस्से और कर्मचारियों के 12% के अंशदान-दोनों का योगदान कर रही है, 100 कर्मचारियों तक रखने वाले समस्त प्रतिष्ठानों के 90% ऐसे कर्मचारियों जो 15000/- रुपए से कम अर्जित करते हैं, के लिए मार्च से अगस्त, 2020 माह के वेतन माह हेतु कुल 24% का अंशदान सरकार कर रही है।

नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का सांविधिक पीएफ अंशदान ईपीएफओ द्वारा कवर किए गए सभी प्रतिष्ठानों के लिए तीन माह के लिए मौजूदा 12% से घटाकर 10% कर दिया गया है।

भारत सरकार ने प्रधान मंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान (पीएमजीकेआरए) के तहत विशेषकर लौटने वाले प्रवासियों को स्थानीय रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए ग्रामीण अवसंरचना एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इसमें 50,000 करोड़ रु. के संसाधन आवृत के साथ 6 राज्यों के 116 जिले शामिल हैं जिसका कार्यान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 125 दिवसों के मिशन मोड़ अभियान में किया जा रहा है।

भारत सरकार ने लगभग 50 लाख रेहड़ी-पटरी वालों को फिर से अपना व्यापार शुरू करने के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए 10,000/-रु. तक का गैर-जमानती कार्यकारी पूंजीगत ऋण प्रदान करने को सरल बनाने के लिए प्रधान मंत्री स्व-निधि योजना आरंभ की है।

केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को निर्माण कामगारों को 5000 करोड़ की राहत प्रदान करने के लिए भवन एवं निर्माण कामगार कल्याण निधि का प्रयोग करने का आदेश दिया है।

भारत सरकार ने प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत भी निम्नलिखित कदम उठाए है जो इस प्रकार हैं:

- सरकारी अस्पतालों एवं स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों में कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कामगारों हेतु बीमा योजना के तहत 50 लाख रु. का बीमा कवर।
- प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत, तीन माह के लिए प्रति माह 5 कि.ग्रा. गेहूं अथवा चावल एवं 1 कि.ग्रा मनपसंद दाल मुफ्त; पीएमजीकेएवाई योजना को बढ़ाकर नवम्बर 2020 के अंत तक कर दिया गया है।
- जनधन खाता धारक महिलाओं को तीन माह के लिए 500 रु. प्रति माह का अनुग्रपूर्वक-अनुदान।
- एमएनआरईजीए मजदूरी को 182 रु. प्रतिदिन से बढ़ाकर 202 रु. प्रति दिन करना जिससे 13.62 करोड़ परिवारों को लाभ हुआ है।
- 3 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों, निर्धन विधवाओं एवं निर्धन दिव्यांगों को 1,000 रु. का अनुग्रहपूर्वक-अनुदान।
- सरकार ने 8.7 करोड़ किसानों को लाभ देने के लिए पीएम किसान योजना के तहत अप्रैल के प्रथम सप्ताह में किसानों को 2,000 रु. का भुगतान दिया है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) द्वारा अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत बेरोजगारी लाभ को औसत वेतन का 25% से बढ़ा कर 50% किया गया है, कोविड-19 के कारण बीमित कामगार जो रोजगार खो चुके हैं, को लाभ का दावा करने के लिए पात्रता शर्तों में छूट के साथ 90 दिवसों तक देय है। बढ़ा हुआ लाभ और छूट की शर्तें 24.03.20 से 31.12.2020 की अवधि हेतु लागू हैं।

*****